

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ की "जोशीमठ श्रोत संबर्द्धन (दीर्घकालीन) पेयजल योजना " निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा पाइप लाइन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र टंगणी की आख्यानसार खसरा नं0 91,92,93 एवं 94 मध्ये ग्राम उच्छोग्वाड़, तहसील जोशीमठ जनपद चमोली क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।


Executive Engineer
आधारा आभार
Construction Division
निर्माण शाखा
Uttarakhand Pajal Nigam
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
गोपेश्वर।


जिलाधिकारी
चमोली
जिला मजिस्ट्रेट
चमोली